



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD&GR, Govt. of India)

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74-सी, विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

संख्या : अ-12(3)/प्रशा./2173-84

दिनांक : 4.12.2020

कार्यालय ज्ञापन

चिकित्सा देयको के प्रतिपूर्ति के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन सं. :अ-12(3)/प्रशा/1092, दिनांक 9.7.2015 के संदर्भ में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा देरी से (छः माह की अवधि के पश्चात्) प्रस्तुत किये जा रहे बाह्य एवं आंतरिक चिकित्सा देयको के संबंध में सी एस (एम ए) नियमावली-1944 के तहत निम्नलिखित बिन्दु से पुनः अवगत कराया जाता है :

सी एस(एमए) नियमावली-1944 के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन क्र. 14025/19/2015-एम. एस. दिनांक 27 मई 2015-एम.एस. दिनांक 27.5.15 के संदर्भ में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इलाज संपन्न होने के छः माह की अवधि के अन्दर चिकित्सा दावा देयक प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें ।

उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले चिकित्सा दावा देयको पर कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आर. वासुदेवन
4/12/2020
(आर. वासुदेवन)
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. कार्यकारी सदस्य के प्रधान निजी सचिव, ननिप्रा, इंदौर
2. सदस्य (सिविल)/सदस्य (विद्युत)/सदस्य (पर्या. व पुर्न.) के निजी सचिव, ननिप्रा, इंदौर ।
3. सचिव/मुख्य अभियंता, ननिप्रा, इंदौर ।
4. निदेशक (सिविल), ननिप्रा, बड़ौदा ।
5. समस्त उप निदेशक स्तर के अधिकारी गण, ननिप्रा, इंदौर/भोपाल ।
6. कार्यपालक अभियंता, उ.प्र.के., ननिप्रा, इन्दौर ।
7. वित्त अधिकारी, ननिप्रा, इन्दौर ।
8. उप निदेशक (संपर्क), ननिप्रा, नई दिल्ली ।
9. सहायक निदेशक/अभियंता, जमौविउसं, इंदौर/मण्डला/होशंगाबाद ।
10. सहायक जन संपर्क अधिकारी इन्दौर को ननिप्रा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ;
11. कानून प्रभारी (कानून प्रकोष्ठ), ननिप्रा, इन्दौर ।
12. कार्यालय आदेश सचिका

आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थों (अनुबंध के अलावा) को इस का ज्ञा. से अवगत करावें ।



स्वच्छ सुरक्षित जल-सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE